भारतीय संविंधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

INDIAN CONSTITUTION HISTORICAL BACKGROUND

कंपनी का शासन (1773 से 1858)

❖ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट

➢ इस अधिनियम का अत्याधिक संवैधानिक महत्व है । क्योकि

1. भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यो को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया प्रथम कदम

CAREER FOUNDATION
जुनून राष्ट्र सेवा का

2. पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यो को मान्यता मिली ।

3. भारत में केन्द्रीय प्रशासन की नींव पड़ी

विशेषताएं

1. इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को गर्वनर जनरल नाम दिया गया एंव उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद् का गठन किया गया।

- बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल – लार्ड वारेन हैस्टिंग्स

2. मद्रास एंव बम्बई के गर्वनर बंगाल के गर्वनर जनरल के अधिन हो गए।

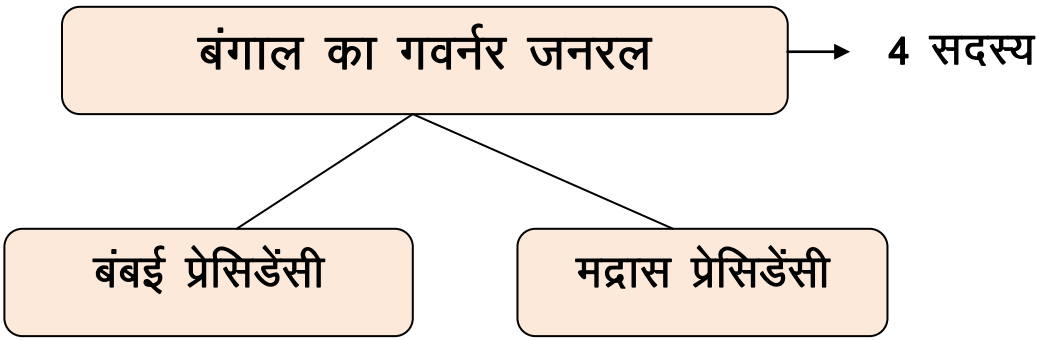

3. कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायलय की स्थापना जिसमें मुख्य न्यायधीश तथा तीन अन्य न्यायधीश थे ।

CAREER FOUNDATION
जुनून राष्ट्र सेवा का

4. निजी व्यापार तथा भारतीयों से उपहार लेने पर रोक

5. ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डाइरेक्टरर्स (कंपनी की गवर्निंग बॉडी) के माध्यमं से कंपनी पर सशक्त नियंत्रण । इसके द्वारा राजस्व नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य

1784 का पिट्स इडिंया एक्ट

इससे पूर्व 1773 की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में संसोधित अधिनियम आया था जिसे सेंटलमेन्ट एक्ट भी कहते है ।

विशेषताएं

1. राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यो को पृथक कर दिया गया

बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल

नागरिक सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का

राजनीतिक मामलों के लिए

➢ अतः द्वैध शासन व्यवस्था की शुरूआत

CAREER FOUNDATION
जुनून राष्ट्र सेवा का

नोटः– 1. भारत में कंपनी के अधिन क्षेत्र को पहली बार ब्रिंटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया ।

2. भारत में कंपनी के कार्यो तथा उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्व नियंत्रण

1813 का चार्टर एक्ट

➢ 1813 एक्ट के तहत भारत में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रूपया खर्च करने का प्रावधान किया गया

- इस एक्ट के तहत ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया । हालांकि चीन के साथ तथा चाय का व्यापार पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा ।
- भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने गिरजाघर खोलने एंव यहां के लोगो के साथ वैवाहिक संबंध बनाने का अधिकार दे दिया गया।

1833 का चार्टर एक्ट

- इससे पूर्व 1793 तथा 1813 मे भी चार्टर एक्ट आया
- ब्रिटिश भारत के केन्द्रीयकरण की दिशा में 183 का चार्टर एक्ट महत्वपूर्ण कदम था ।

CAREER FOUNDATION
जुनून राष्ट्र सेवा का

विशेषताएं

1. बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया , जिसमें सभी नागरिक एंव सैन्य शक्तियां निहित थी ।

- पहली बार एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियत्रंण था ।
- लोर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने ।

2. मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों की विधायिका शक्तियां समाप्त तथा भारत के गवर्नर जनरल को पुरे ब्रिटिश भारत की विधायिक शक्तियां प्राप्त

- पहले बने कानूनों को नियामक कानून कहा गया
- नए कानूनो को एक्ट या अधिनियम कहा गया

3.ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त , अब यह एक प्रशासनिक निकाय बन गई ।

4. सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास ।

CAREER FOUNDATION
जुनून राष्ट्र सेवा का

- गौरतलब है कि इसी एक्ट में भारतीयों को कंपनी में किसी पद , कार्यालय और रोजगार हासिल करने से वंचित न किया जाए यह कहा गया मगर कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर के विरोंध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया ।

1853 का चार्टर एक्ट

विशेषताएं

1. पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद् के विधायी एंव प्रशासनिक कार्यो को अलग कर दिया ।

- परिषद् में छः नए पार्षद और जोड़े गए इन्हे विधान पार्षद कहा गया

अतः हम कह सकते है कि गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद् का गठन जिसे केन्द्रीय विधान परिषद् कहा गया

CAREER FOUNDATION

- यह परिषद् छोटी संसद के रूप मे कार्य करने लगा

2. सिविल सेवकों की भर्ती एंव चयन हेतू खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ हुआ । इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई और 1854 में मैकाले समिति की नियूक्ति की गई ।

3. पहली बार केन्द्रीय विधान परिषद् में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया ।

- गवर्नर जनरल की परिषद् में 6 नए सदस्यों मे से 4 का चुनाव बंगाल , मद्रास , बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था।

CAREER FOUNDATION
जुनून राष्ट्र सेवा का